ए.

समाज परिवर्तन समुदाया और ओ. आर. एस. बनाम.

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

आई. ए. संख्या 10973/2018,83141/2017,72931/2017 और 218/2014

बी.

(लेखन याचिका (सिविल) सं. 562/2009) 26 अगस्त, 2022

[एन**.** वी**.** रमना**,** मुख्य न्यायाधीश **,** हिमा कोहली और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** जे**.** जे**.]**

सी.

पर्यावरण कानूनः

खान और खनिजःलौह अयस्क-उत्पादन पर अधिकतम सीमा-वृद्धि या निष्कासन-कर्नाटक राज्य के बेल्लारी, तुमकुर और चित्रदुर्ग जिलों में सभी खनन पट्टों से लौह अयस्क का उत्पादन-वर्ष 2011 में, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति-सी. ई. सी. की रिपोर्ट के आधार पर कर्नाटक के बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया-वर्ष 2012 में, सी. ई. सी. की सिफारिशों पर, बेल्लारी जिले में 25 मिलियन मीट्रिक टन-एम. एम. टी. और चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों में 5 एम. एम. टी. की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई-अधिकतम सीमा बढ़ाने/उठाने की मांग करने वाले आवेदन-वर्ष 2017 में सी. ई. सी. की ताजा रिपोर्ट के आधार पर, अधिकतम सीमा 25 एम. एम. टी. से बढ़ा दी गई।याची द्वारा उठाई गई चिंताओं, संभावित अति उत्खनन और अंतर-पीढ़ीगत समानता पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को संतुलित किया जाना चाहिए और सतत विकास के सिद्धांत को भी लागू किया जाना चाहिए-स्थिति एक सतर्क दृष्टिकोण के योग्य है-पारिस्थितिकी और पर्यावरण का संरक्षण।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

पर्यावरण को आर्थिक विकास की भावना के साथ-साथ चलना चाहिए और दो लक्ष्यों के बीच अच्छा संतुलन हासिल करना है-इस प्रकार, बेल्लारी जिले में लौह अयस्क की अधिकतम सीमा 28 एम. एम. टी. से बढ़ाकर 35 एम. एम. टी. और चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों में सामूहिक रूप से 7 एम. एम. टी. से बढ़ाकर 15 एम. एम. टी. की जाएगी।

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2009 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 562 में आई. ए. Nos.10973/2018,83141/2017,72931/2017 और 218/2014।भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

बी.

तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., निखिल गोयल, ए. ए. जी., दुष्यंत दवे, आर. बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्तागण , आदित्य नारायण, रोहित शर्मा, गणेश भट्ट, साहिल मित्रा, सुश्री नेहा सागवान, कुमार दुष्यंत सिंह, प्रशांत भूषण, सुश्री रश्मि सिंह, रजत नायर, टी. एस. सबरिश, श्रीमती श्रद्धा देशमुख, शुभ्रांशु पाढाई, शैलेश मडियाल, सुश्री सुजाता बागड़ी, अरविंद कुमार शर्मा, ओंकार कांबी, परीक्षित पी. अंगड़ी, वी. एन. रघुपति, सुश्री अपर्णा भट, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

सी.

डी.

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. वर्तमान सुनवाई हमारी पिछली सुनवाई और दिनांक 1 के आदेश की निरंतरता में है, जिसके तहत इस न्यायालय ने कर्नाटक राज्य के बेल्लारी, तुमकुर और चित्रदुर्ग जिलों में लौह अयस्क की बिक्री और निर्यात से संबंधित कुछ राहतों पर विचार किया था और उन्हें मंजूरी दी थी।उक्त आदेश में, हमने विशेष रूप से उपर्युक्त जिलों में लौह अयस्क के उत्पादन के लिए अधिकतम सीमा को हटाने/छूट देने के सवाल को खुला छोड़ दिया था और इस न्यायालय द्वारा नियुक्त निरीक्षण प्राधिकरण से राय मांगी थी।इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां इस प्रकार थींः

ई.

एफ.

“22....वर्तमान में, हम इस आदेश के दायरे को आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्तों द्वारा की गई दोहरे अनुरोधों की जांच करने तक सीमित रखने का प्रस्ताव करते हैं, अर्थात् निगरानी समिति के माध्यम से की गई नीलामी की प्रक्रिया का सहारा लिए बिना पहले से ही खुदाई किए

गए लौह अयस्क के न बेचे गए स्टॉक को बेचने की अनुमति और कर्नाटक राज्य में स्थित बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों से लौह अयस्क/छर्रों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए। यद्यपि लौह अयस्क के कुल उत्पादन के लिए अधिकतम सीमा को हटाने के संबंध में पक्षों द्वारा कुछ प्रस्तुतियाँ की गई थीं, लेकिन इस समय हम उक्त मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

जी.

एच.

541

समाज परिवर्तन समुदाया और ओ. आर. एस. बनाम.कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

ए.

32. बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों में खनन पट्टों के लिए लौह अयस्क के उत्पादन की अधिकतम सीमा को हटाने के संबंध में पक्षों की दलीलों के संबंध में, हमारी राय है कि उक्त मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले इस न्यायालय द्वारा नियुक्त निरीक्षण प्राधिकरण से 21 अप्रैल, 2022 के आदेश के माध्यम से राय प्राप्त करना समीचीन होगा।हम निगरानी प्राधिकरण से अनुरोध करते हैं कि वह सीईसी और निगरानी समिति सहित हितधारकों से जानकारी ले और अधिमानतः 4 सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय को अपनी राय भेजे।"

बी.

2. सुनवाई की अंतिम तिथि पर, इस न्यायालय ने विद्वत निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा दायर रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया और निर्देश दिया था कि इसकी प्रतियां पक्षों को उपलब्ध कराई जाएं, जिसके बाद मामले को अधिकतम सीमा हटाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए पोस्ट विद्वान गया था।

सी.

3. मूल याची की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण और भारतीय खनिज उद्योग महासंघ, दक्षिण की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे को सुना।

डी.

4. श्री प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत विद्वान कि सी. ई. सी. की पूर्व की सिफारिश और विद्वान लोकायुक्ता की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सीमाएं लागू की गई थीं, जिसमें सुझाव दिया गया था कि कर्नाटक राज्य में लौह अयस्क के खनन की दर अस्थिर थी और इसके परिणामस्वरूप 30 वर्षों के भीतर कर्नाटक राज्य में लौह अयस्क का भंडार समाप्त हो जाएगा। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह अंतर-पीढ़ीगत समानता के लक्ष्य को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।अंत में, उन्होंने प्रस्तुत विद्वान कि चूंकि विद्वत निरीक्षण प्राधिकरण ने अधिकतम सीमा

को हटाने की व्यवहार्यता के बारे में राय देने से पहले अवसंरचनात्मक क्षमता के बारे में अतिरिक्त जानकारी मांगी है, इसलिए इस न्यायालय को वर्तमान में इस मोड़ पर कोई भी आदेश पारित करने से बचना चाहिए।

ई.

एफ.

5. दूसरी ओर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवे ने कहा कि कर्नाटक राज्य में लौह अयस्क खनन से संबंधित वर्तमान व्यवस्था, जिसमें न्यायालय द्वारा अधिकतम सीमाएं लगाई गई हैं, एक दशक से अधिक समय से अस्तित्व में है।जब पहली बार अधिकतम सीमा लागू की गई थी, तो न्यायालय को एक बहुत ही अलग स्थिति का सामना करना पड़ा था, जहां कर्नाटक राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध खनन गतिविधि हो रही थी।उक्त स्थिति को अब इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की श्रृंखला के माध्यम से ठीक किया गया है।नतीजतन, क्षेत्र में सभी अवैध खनन को रोक दिया गया है और

जी.

एच.

ए.

इस क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी में सुधार के लिए कई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत विद्वान कि वर्तमान खनन पट्टा धारकों, जो सभी कानूनों का पालन कर रहे हैं, को एक दशक पहले की गई अवैधताओं के लिए अनुचित रूप से दंडित विद्वान जा रहा है।इस तरह की अधिकतम सीमा के परिणामस्वरूप एक भेदभावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है जहां कर्नाटक राज्य में खनन पट्टा धारकों को एक कानूनी व्यवस्था द्वारा शासित किया जाता है, जबकि देश के अन्य राज्यों में वे पूरी तरह से अलग व्यवस्था द्वारा शासित होते हैं।6. इस मोड़ पर, विभिन्न न्यायालयी आदेशों के माध्यम से लौह अयस्क के उत्पादन पर अधिकतम सीमा के इतिहास को उजागर करना प्रासंगिक हो सकता है। 29.07.2011 और 26.08.2011 पर, इस न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ('CEC') की रिपोर्ट के आधार पर क्रमशः बेल्लारी और चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था।7. आई. डी. 2 पर, इस न्यायालय ने सी. ई. सी. की आई. डी. 1 की रिपोर्ट में निहित कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें शामिल थीं:

बी.

सी.

डी.

"ख**)** जिला बेल्लारी में सभी खनन पट्टों से लौह अयस्क के कुल उत्पादन के लिए **25** मिलियन मीट्रिक टन **(**एमएमटी**)** की सीमा निर्धारित की जा सकती है।चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों में सभी खनन पट्टों पर लौह अयस्क के उत्पादन के लिए **5** एमएमटी की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है।

ई.

(बल दिया गया)

8. उपरोक्त स्थिति को इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 18.04.2013 निर्णय के माध्यम से दोहराया गया था, जिसमें याचिकाओं के अंतर्निहित सेट का निपटारा किया गया था।9. सीलिंग कैप को बढ़ाने/उठाने की मांग करने वाले कुछ आवेदनों पर विचार करते हुए, 14.12.2017 दिनांकित निर्णय के माध्यम से।इस न्यायालय ने सीईसी की दिनांक 14.07.2017 की एक ताजा रिपोर्ट के आधार पर बेल्लारी जिले के संबंध में इसे 25 एमएमटी से बढ़ाकर 28 एमएमटी और चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों के लिए सामूहिक रूप से 5 एमएमटी से बढ़ाकर 7 एमएमटी करने की अनुमति दी थी।छूट देने के लिए इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियांः

एफ.

जी.

"16. इस न्यायालय द्वारा दिनांक **5.08.2011** और **1.09.2014** के आदेशों द्वारा तय की गई सीमा ऐसी स्थिति में थी जहां किसी विशेष खदान द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले अधिकतम उत्पादन के बारे में वस्तुतः कोई नियंत्रण या प्रभावी नियामक उपाय नहीं थे।लौह अयस्क भंडार का कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया था ए

एच.

543

समाज परिवर्तन समुदाया और ओ. आर. एस. बनाम.कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

पट्टे में किसी विशेष खदान को आवंटित।नतीजतन**,** यह कम से कम संभव समय सीमा के भीतर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए सभी अभ्यासों के लिए लगभग निःशुल्क था।वन भूमि में अतिक्रमण के साथ बड़े पैमाने पर और अवैध खनन किया गया था**,** विशेष रूप से अत्यधिक खनन के परिणामस्वरूप अत्यधिक बोझ वाले डंप के रूप में उपयोग

करने के लिए।इससे पर्यावरण और पारिस्थितिकीय क्षति इस हद तक हुई थी कि इसे हल करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।

बी.

स्थिति जो सामान्य पाठ्यक्रम है, कार्यकारी क्षेत्र के भीतर आ सकती है।यह न्यायालय के हस्तक्षेप के आधार पर है कि खनन भंडार सहित विभिन्न मानकों के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर एक विशेषज्ञ निकाय, आई. सी. एफ. आर. ई. द्वारा प्रत्येक खदान के लिए आर. एंड आर. योजनाएं तैयार की गई हैं।भंडार, डंपिंग क्षेत्रों, उपलब्ध बुनियादी ढांचे आदि की सीमाओं के आधार पर प्रत्येक खदान के लिए एक विशेष/अनुमेय सीमा निर्दिष्ट करते हुए अनुसंधान और विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। तदनुसार, 13 विभिन्न श्रेणी 'ए' खदानों के लिए एम. पी. ए. पी. बढ़ाने और सार्वजनिक क्षेत्र के पट्टेदार यानी एन. एम. डी. सी. द्वारा रखे गए 2 पट्टों के संबंध में एम. पी. ए. पी. बढ़ाने के लिए भी सिफारिशें की गई हैं। इसी तरह, कम समय में 10 खदानों के संचालन शुरू होने की उम्मीद है।न्यायालय द्वारा प्रस्तुत समाधान यथार्थवादी होना चाहिए। इसलिए, यह जमीनी स्तर पर वर्तमान परिदृश्य की विभिन्न विशेषताएं हैं, जैसा कि सी. ई. सी. की रिपोर्ट में उजागर किया गया है, जिन पर बारीकी से विचार किया जाना चाहिए।इस संबंध में, हम इस तथ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं कि

सी.

डी.

ई.

पिछले कुछ वर्षों में भंडार भी बदल गए हैं और आज पूरे कर्नाटक राज्य में लौह-अयस्क भंडार, जिसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भंडार शामिल हैं, बी. एम. टी. (बिलियन मीट्रिक टन) के बराबर है।ये सभी कारण प्रेरित करते हैं

एफ.

हम बेल्लारी, तुमकुर और चित्रदुर्ग के 3 जिलों में श्रेणी ए और बी खानों के लिए सीमा बढ़ाने के लिए सी. ई. सी. की सिफारिशों के साथ-साथ एन. एम. डी. सी. और एम. एम. एल. के एम. पी. ए. पी. के संबंध में सिफारिशों को स्वीकार करते हैं, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 12 में उल्लेख किया गया है, इस निर्देश के साथ कि एम. पी. ए. पी. को बढ़ाने के लिए सभी लंबित प्रस्तावों पर बिना किसी देरी के निर्णय लिया जाएगा, स्वाभाविक रूप से, उपरोक्त सीमा के अधीन।"

जी.

(बल दिया गया)

10. यह तथ्यों के उपरोक्त समूह के आलोक में है कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया जाना चाहिए।2017 में, यह न्यायालय थी

ए.

यह विचार कि कर्नाटक राज्य में स्थिति बहुत बदल गई थी और इसलिए अधिकतम सीमा में वृद्धि की अनुमति दी गई थी।हम अब वर्ष 2022 में हैं।यह किसी का मामला नहीं हो सकता है कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में जो स्थिति बनी हुई है, वह वही है जो उस समय थी जब अंतर्निहित याचिका पर पहली बार सुनवाई की गई थी, या जब न्यायालय ने 2017 में आदेश पारित किया था, जिसमें कुछ हद तक सीमा में ढील दी गई थी।

बी.

11. यह कर्नाटक राज्य और इस न्यायालय के समक्ष सी. ई. सी. के बदले हुए रुख से भी स्पष्ट है।2017 में, सी. ई. सी. ने अधिकतम सीमा को 5 एम. एम. टी. तक बढ़ाने की सिफारिश की थी, जबकि अब सी. ई. सी. इस विचार का समर्थन करता है कि अधिकतम सीमा को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।कर्नाटक राज्य ने 2017 में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि अधिकतम सीमा को 40 एम. एम. टी. तक बढ़ाया जा सकता है और बाद में धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 50 एम. एम. टी. किया जा सकता है। हालाँकि, कर्नाटक राज्य अब अधिकतम सीमा को पूरी तरह से हटाने के पक्ष में है।

सी.

12. वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि सी. ई. सी., कर्नाटक राज्य, इस्पात मंत्रालय, भारत संघ, कर्नाटक लौह और इस्पात निर्माता संघ ('के. आई. एस. एम. ए.') और खनन पट्टा धारक सभी यह मानते हैं कि जमीनी स्तर पर बदली हुई स्थिति पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा लगाई गई अधिकतम सीमा को पूरी तरह से हटाने की गारंटी देती है।सी. ई. सी. की दिनांकित 10.04.2022 प्रतिक्रिया (अर्थात।सी. ई. सी. रिपोर्ट संख्या 2022 की 3) अधिकतम सीमा को उठाने के मुद्दे पर पुनरुत्पादन के योग्य है और इसे नीचे निकाला गया हैः

डी.

ई.

“17. इस माननीय न्यायालय ने दिनांक **1** और **2** के आदेशों द्वारा जिला बेल्लारी के संबंध में **25** एम**.** एम**.** टी**.** और चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों के संबंध में **5** एम**.** एम**.** टी**.** की उत्पादन सीमा तय की थी।इस माननीय न्यायालय ने दिनांक **1** के निर्णय द्वारा उत्पादन सीमा को

जिला बेल्लारी के संबंध में **28** एम**.** एम**.** टी**.** और जिलों के लिए **7** एम**.** एम**.** टी**.** तक बढ़ा दिया।

एफ.

चित्रदुर्ग और तुमकुर।आर एंड आर योजनाओं में अनुमोदित लौह अयस्क की उपलब्धता वर्तमान में इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित 35 एम. एम. टी. प्रति वर्ष की सीमा से अधिक है। निगरानी समिति द्वारा प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में 34 श्रेणी 'ए' और 'बी' खनन पट्टे 36.31 एमएमटी के अनुमोदित एमपीएपी के साथ परिचालन में हैं। एक अतिरिक्त 9 श्रेणी "सी" खनन पट्टे और 4 श्रेणी "ए" और "बी" समाप्त हो चुके पट्टे, जो ई-नीलामी किए गए थे, क्रमशः 5.54 एमएमटी और 2.41 एमएमटी के एमपीएपी के साथ काम कर रहे हैं। बागलकोट ए जिले में स्थित 4 अन्य खनन पट्टे

जी.

एच.

545

समाज परिवर्तन समुदाया और ओ. आर. एस. बनाम.कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

दावनगेरे की उत्पादन क्षमता क्रमशः 6.29 लाख एम. टी. प्रति वर्ष और 60,000 एम. टी. प्रति वर्ष है।इन दोनों जिलों में लौह अयस्क का उत्पादन इस माननीय न्यायालय के आदेशों से प्रभावित नहीं है।कर्नाटक में 31 तक लौह अयस्क की अनुमोदित वार्षिक उत्पादन क्षमता का योग। इसके अलावा, 5 श्रेणी "सी" और 2 अवधि समाप्त श्रेणी "ए" और "बी" खदानें हैं जिनकी राज्य द्वारा ई-नीलामी की गई है, लेकिन इन 7 खदानों के संबंध में पट्टा समझौतों का निष्पादन 31.3.2022 पर लंबित है।

बी.

...

...

सी.

23. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उजागर किए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह इस माननीय न्यायालय के विचार के लिए है कि क्या खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद तीन जिलों बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर में लौह अयस्क के उत्पादन और बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा की आवश्यकता है और यदि इस माननीय न्यायालय द्वारा सहमति हो जाती है तो कृपया निम्नलिखित पर विचार किया जा सकता है (i) निगरानी समिति द्वारा आयोजित ई-नीलामी के माध्यम से लौह अयस्क की बिक्री का निर्देश देने वाले इस माननीय न्यायालय के आदेशों को रद्द

करना, और खनन संचालन को फिर से शुरू करने के बाद पट्टेदारों द्वारा कौन सा अयस्क प्रस्तुत किया गया है।हालांकि, खनन पर प्रतिबंध लगाने की तारीख को उपलब्ध उप-श्रेणी के लौह अयस्क सहित लौह अयस्क के बचे हुए पुराने भंडार की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से जारी रखी जाए।निगरानी समिति को 31 जुलाई 2022 से पहले ई-नीलामी के माध्यम से सभी शेष पुराने स्टॉक का निपटान करने का निर्देश दिया जाए।यदि कोई स्टॉक जिस पर पट्टेदार का स्वामित्व अधिकार है, उसे बिना बेचे छोड़ दिया जाता है तो पट्टेदार को इसका निपटान करने की अनुमति दी जा सकती है।((ii) एन. एम. डी. सी. को छोड़कर सभी पट्टेदारों से बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत और एस. पी. वी. में उनके योगदान के लिए एन. एम. डी. सी. से बिक्री मूल्य का 20 प्रतिशत संग्रह बंद किया जा सकता है।(iii) बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों से लौह अयस्क और छर्रों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेशों को समाप्त करना।

डी.

ई.

एफ.

जी.

(iv) वित्तीय वर्ष **2022-2023** से श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी' खदानों के संबंध में लौह अयस्क के उत्पादन पर जिला स्तर की सीमा तय करने के आदेशों को समाप्त करना।

एच.

ए.

24. तथापि, आर एंड आर योजनाओं और पूरक पर्यावरण योजनाओं के माध्यम से निर्धारित की जा रही अधिकतम अनुमेय वार्षिक उत्पादन (एम. पी. ए. पी.) के निर्धारण की प्रणाली, वैज्ञानिक और टिकाऊ खनन सुनिश्चित करने के बाद और पट्टा क्षेत्र के भीतर उपलब्ध खनन भंडार को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न पर्यावरण और खनन कानूनों के तहत निर्धारित मानकों का पालन करने के बाद, जैसा कि इस माननीय न्यायालय के दिनांक 13.4.2012 और दिनांक 18.4.2013 के निर्णय में अनुमोदित किया गया है, जारी रह सकती है।सभी खनन पट्टों को ऐसे एम. पी. ए. पी. का सख्ती से पालन करते हुए संचालित करने के लिए, जिसे तय/पुनर्निर्धारित किया जा सकता है।"

बी.

13. निगरानी समिति ने सीमा बनाए रखने या हटाने के संबंध में अन्य लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों की ओर सीधे संकेत किए बिना, एक अलग चिंता पर प्रकाश डाला है, अर्थात, यदि सीमा बढ़ाई जानी थी तो खुदाई किए गए लौह अयस्क के परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे की अक्षमता।यह इस संदर्भ में है कि इस न्यायालय द्वारा नियुक्त विद्वान निरीक्षण प्राधिकरण ने उक्त मुद्दे पर निष्कर्ष निकालने में असमर्थता व्यक्त की।विद्वान निरीक्षण प्राधिकरण ने अपनी दिनांकित 29.07.2022 की रिपोर्ट में निम्नानुसार टिप्पणी कीः

सी.

डी.

निगरानी प्राधिकरण वर्तमान में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और निगरानी समिति द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी रिपोर्टों को देखते हुए इस मामले में अपनी दृढ़ राय व्यक्त करने में असमर्थ है।यह निगरानी प्राधिकरण के लिए कोई राय व्यक्त करने के लिए नहीं है कि क्या निगरानी समिति ने अधिकतम सीमा को जारी रखने का अनुरोध करके केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के साथ किसी मुद्दे में शामिल होने में अपने संक्षिप्त विवरण को पार कर लिया है।चाहे जो भी हो, 'वर्तमान उपलब्ध सड़क अवसंरचना', 'परिवहन अवसंरचना में मौजूदा और सुधार' के मामले में कुछ और साक्ष्य एकत्र करना उचित और आवश्यक है।निरीक्षण प्राधिकरण के अवलोकन के लिए इस तरह का कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया गया है कि आज और 20.05.2022 के बीच क्या घटनाक्रम हुए हैं, यानी जब भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऊपर निर्दिष्ट आदेश पारित किए हैं।14. श्री प्रशांत भूषण, मूल याची की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता, इसलिए सिद्धांतों के आधार पर अधिकतम सीमा को हटाने के अनुरोध के एकमात्र विरोधी हैं।आपत्ति के पीछे प्रेरक चिंता यह प्रतीत होती है कि अधिकतम सीमा को हटाने से वही स्थिति पैदा हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय का न्यायिक हस्तक्षेप हुआ था।विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ऐसा ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

सीलिंग सीमा को उठाने के आदेश से कर्नाटक राज्य में निर्बाध खनन गतिविधि हो सकती है, जिससे घड़ी पूरी तरह से पीछे हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप पूरे राज्य में प्रतिगमन हो सकता है।

15. मूल याची और निगरानी समिति की चिंताओं पर इस न्यायालय द्वारा उचित विचार किया जाना चाहिए।मूल याची द्वारा शुरू की गई कार्रवाई और इस न्यायालय द्वारा बाद में न्यायिक हस्तक्षेप के कारण कर्नाटक राज्य में बहुत अच्छा काम किया गया है।वास्तव में, यह पिछले दशक में लगातार की गई प्रगति है जिसने इस न्यायालय को वर्तमान आवेदकों द्वारा मांगी गई अधिकतम सीमा को बढ़ाने के संबंध में राहत पर भी विचार करने के लिए प्रेरित किया।मूल याची द्वारा उठाई गई चिंताओं, संभावित उत्खनन और अंतर-पीढ़ीगत समानता पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में, अन्य पक्षों की चिंताओं के खिलाफ संतुलित होना चाहिए, क्योंकि सतत विकास के सिद्धांत भी चलन में आते हैं।

बी.

सी.

16. जब अधिकतम सीमा की बात आती है तो इस न्यायालय ने आम तौर पर सी. ई. सी. की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।वर्तमान मामले में, सी. ई. सी. ने अधिकतम सीमा में पूरी तरह से ढील देने की सिफारिश की है।लेकिन हम इसे पूरी तरह से अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं हैं।बल्कि, उठाये गए सरोकारों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्नाटक राज्य में खनन गतिविधि के संबंध में स्थिति में कोई भी बदलाव धीरे-धीरे लाया जाए, हमारी राय है कि लौह अयस्क खनन की सीमा बेल्लारी जिले के लिए 28 एम. एम. टी. से बढ़ाकर 35 एम. एम. टी. और चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों के लिए सामूहिक रूप से 7 एम. एम. टी. से बढ़ाकर 15 एम. एम. टी. की जा सकती है।

डी.

ई.

17. पारिस्थितिकी और पर्यावरण का संरक्षण आर्थिक विकास की भावना के साथ-साथ होना चाहिए और दोनों लक्ष्यों के बीच अच्छा संतुलन आज भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है।18. आई. ए. संख्या 83141/2017,72931/2017 और 218/2014 को उपरोक्त शर्तों पर निपटाया जाता है।जहाँ तक आई. ए. सं. 10973/2018 का संबंध है, वही इस न्यायालय के पहले के आदेशों के संदर्भ में एम. पी. ए. पी. को बढ़ाने के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के संबंध में सी. ई. सी. और निगरानी समिति को दिए गए निर्देशों से संबंधित है।सुनवाई की अगली तारीख पर न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है।

एफ.

जी.

निधि जैन

एक को छोड़कर सभी आई. ए. का निपटारा कर दिया गया।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

एच.